

①

काय लिख निदेशक सैकडरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़  
आदेश क्रमांक 23/127-2002 दि 11/4 दिनांक चण्डीगढ़ 5-2-2003

अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र

मार्डन विद्या निकेतन अरावली हिल्स बड्डाल सूरज कुण्ड रोड फरीदाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से शैक्षणिक सत्र 2002-03 के लिए 10+2 स्तर तक की सम्बद्धता लेने हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान किया जाता है:-

- 1 इस विद्यालय की हस्त/प्रबन्धक कमेटी के विरुद्ध कोई क्लेम/शिकायत लम्बित न हो।
- 2 हरियाणा एजुकेशन एक्ट 1995 तथा इसके तहत बनाए गए रहे नियमों के अनुसार हरियाणा एजुकेशन बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करनी होगी।
- 3 हरियाणा एजुकेशन एक्ट 1995 के तहत जो नियम बनें वह विद्यालय को मान्य होंगे।
- 4 हरियाणा शिक्षा विभाग के निर्देश/हिदायतों की पालना करनी होगी।

यदि शर्तों की अवेहलना पाई गई तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना नोटिस दिए रद्द कर दिया जायेगा।

सुरीना राजन

निदेशक सैकडरी शिक्षा हरियाणा

सूचना क्रमांक सम दिनांक 5-2-2003

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

भेजा है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उनके पत्र क्रमांक जे.ए./2002/19-6-2002 के तदर्थ भेजे।
- 2 प्रचारार्थ मार्डन विद्या निकेतन अरावली बड्डाल सूरज कुण्ड रोड फरीदाबाद।
- 3 सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कसूनिटी सेंटर प्रोव बिहार नई दिल्ली।

*Prerna*  
Principal  
Modern Vidya Niketan  
Aravali Hills, Faridabad

*Prerna*  
उप अधीक्षक विद्यालय-1  
को निदेशक सैकडरी शिक्षा हरियाणा